रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 496] NEW DELHI FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. एल-7/105(121)/2007-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है।

1.2 ये विनियम 01.04.2020 या इस प्रकार की अन्य तारीख से जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 का संशोधनः**

2.1 मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ-क) को निम्नानुसार किया जाएगाः-

"(छक) "अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार" से संव्यवहार अभिप्रेत है जो वास्तविक समय बाजार या आगामी दिवस के डिलीवरी की विनिर्दिष्ट अवधि के सिवाय उसी दिवस (टी) उर्जा की डिलीवरी के लिए डेअडेड मार्केट विंडो की समाप्ति के बाद दिवस (टी+) को घटित होता है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अधिसूचित है।"

2.2 एक नया उपखण्ड (डक) मूल विनियमों के विनियम 2 खंड (1) के उपखण्ड (ड) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः-

"(डक) वास्तविक समय संव्यहवारों" से सामूहिक संव्यवहार अभिप्रेत है जो दिवस (टी)के दौरान डिलीवरी की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुसूची के पुनरीक्षण के अधिकार की समाप्ति के बाद दिवस (टी) या (टी-1) को घटित होता है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अधिसूचित है।"

3. **मूल विनियमों के विनियम 13 का संशोधनः**

3.1 एक नया खण्ड 13(ख) मूल विनियमों के विनियम 13 के खण्ड 13(क) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः-

"वास्तविक समय बाजार में संव्यवहार के अनुसूचीकरण के लिए क्रियाविधि

13(ख) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वास्तविक समय बाजार में सहभागिता करने वाली सभी इकाइयां विद्युत के क्रय और विक्रय के लिए पावर एक्सचेंजों पर अपनी बोलियां और प्रस्ताव कर सकते हैं। दिवस(टी) के लिए वास्तविक समय बाजार में व्यापार के लिए विन्डो दिवस(टी) के पहले घण्टे के प्रथम दो टाइम ब्लॉकों अर्थात 00:00 घण्टों से 00:30 घण्टों के लिए विद्युत की डिलीवरी के लिए 22:45 घण्टे से 23:00 घण्टे तक (टी-1) खुलेगी और उसके बाद प्रत्येक आधे घण्टे पर दोहराई जाएगी। वास्तविक समय बाजार के लिए बोली तंत्र प्रत्येक टाइम ब्लॉक डिलीवरी अवधि के प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए डबल साइड क्लोज्ड बोली नीलामी होगी। नोडल एजेंसी गेट बंद होने से पूर्व अर्थात् विनिर्दिष्ट अवधि के लिए व्यापार बंद करने के लिए विंडो के पहले प्रत्येक पारेषण कॉरिडोर पर उपलब्ध मार्जिन को पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को इंगित करेंगी। पावर एक्सचेंज उपलब्ध पारेषण कॉरिडोर पर आधारित 23:00 घण्टों से 23:15 घण्टे तक वास्तविक समय बाजार को क्लियर करेंगे और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वास्तविक समय बाजार के लिए खरीद एवं बिक्री की बोली करेंगे। तब क्लियर की गई बोलियां अनुसूचीकरण के लिए नोडल एजेंसी को पावर एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार नोडल एजेंसी (टी-1) के 23:45 घण्टे तक अंतिम अनुसूची को घोषित करेगी और प्रादेशक भार प्रेषण केन्द्र को प्रेषण के लिए अनुसूची तैयार करने के लिए सूचित करेगी।

दृष्टांतः

वास्तविक समय सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए पूर्ण टाइम लाइन नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गई हैः

वास्तविक समय बाजार नीलामी आरंभ होने का समय	वास्तविक समय बाजार नीलामी समाप्त होने का समय	वास्तविक समय बाजार क्लियरिंग अंतराल और वेबसाइट में प्रकाशन	एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी को अनूसूची का प्रेषण	अंतिम अनूसूची की तैयारी	प्रेषण के लिए तैयारी का समय	डिलीवरी अवधि
			दृष्टांत - क			
22:45 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:00 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:00 घंटे - 23:15 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:15 घंटे – 23:30 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:30 घंटे – 23:45 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:45 घंटे – 24:00 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	00:00:00 - 00:30:00
23:15 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:30 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:30 घंटे - 23:45 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	23:45 घंटे – 00:00 घंटे (पूर्ववर्ती दिन का½	00:00 घंटे - 00:15 घंटे	00:15 घंटे - 00:30 घंटे	00:30:00 - 01:00:00
			दृष्टांत - ख			
07:45 घंटे	08:00 घंटे	08:00 घंटे - 08:15 घंटे	08:15 घंटे -08:30 घंटे	08:30 घंटे - 08:45 घंटे	08:45 घंटे - 09:00 घंटे	09:00:00 - 09:30:00

दृष्टांत - ग						
20:45 घंटे	21:00 घंटे	21:00 घंटे -21:15 घंटे	21:15 घंटे – 21:30 घंटे	21:30 घंटे - 21:45 घंटे	21:45 घंटे - 22:00 घंटे	22:00:00 - 22:30:00

4. निम्नलिखित परन्तुक मूल विनियम के विनियम 15 के खण्ड 1 के नीचे जोड़ा जाएगाः

"बशर्ते कि सामूहिक संव्यवहारों को कम करते हुए, डेअहेड संव्यवहार पहले कम किए जाएंगे और बाद में वास्तविक समय संव्यवहार होंगे।"

5. मूल विनियमों के विनियम 20 का संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 20 का खण्ड)1(को निम्नानुसार किया जाएगाः

"(1) वास्तविक समय बाजार के निष्पादन के बाद अनुसूचियों में परिवर्तनों के लेखांकन के बाद इन विनियमों के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा अनुसूचित अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए और राज्य प्रयोज्यताओं के लिए सभी संव्यवहार लेखांकित किए जाएंगे और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई संबंधित प्रादेशिक इकाई की संबंधित डेअहेड निवल अंतःपरिवर्तित अनुसूचियों में शामिल किए जाएंगे।"

सनोज कुमार झा, (सचिव)

[विज्ञापन-III/4/असा./383/19]

टिप्पणी : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 10, तारीख 7.2.2008 में अधिसूचित तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए,

(क) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 10, तारीख 29.5.2009 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 को अधिसूचित।

(ख) शुद्धिपत्र जो तारीख 10.6.2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग ।।।, खण्ड 4 में, संख्या 10 पर प्रकाशित किया गया।

(ग) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 237, तारीख 11.9.2013 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 को अधिसूचित।

(घ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 237, तारीख 12.5.2015 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 अधिसूचित।

(ङ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 279, तारीख 22.6.2016 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 अधिसूचित।

(च) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 23, तारीख 2.1.2019 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2018 अधिसूचित।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

No. L-7/105(121)/2007-CERC.–In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend

the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:-

Preliminary

1. Short title and commencement

1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Sixth Amendment) Regulations, 2019.

1.2 These regulations shall come into force from 1stApril, 2020 or such other date as may be notified by the Commission.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations

2.1 Sub-clause (g-a) of clause (1) of Regulation 2 of Principal Regulation shall be substituted as under:-

"(ga) "Intra-Day Transaction /Contingency Transaction" means the transaction (not being a collective transaction) which occurs on day (T)after the closure of day ahead market window for delivery of power on the same day (T) except for the duration of the specified periodof delivery of the real-time market, or for the next day (T+1)and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre."

2.2 New sub-clause (ma) shall be added after Sub-clause (m) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, as under :-

"(ma) 'Real-time transactions' means the collective transactions which occur on the day (T) or (T-1) after the right to revision of schedule ends for a specified duration of delivery during the day (T)and which are scheduled by Regional Load Despatch Centre or National Load Despatch Centre."

3. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations

3.1 New clause 13 (B) shall be added after clause 13(A) of Regulation 13 of the Principal Regulations, as under:-

"Procedure for scheduling of transaction in Real-time market(RTM)

13(B) All the entities participating in the real-time market for a specified duration may place their bids and offers on the Power Exchanges for purchase and sale of power. The window for trade in real-time market for day (T) shall open from 22.45hrs to 23.00hrs of (T-1) for the delivery of power for the first two time-blocks of 1st hour of day (T) i.e., 00.00 hrs to 00.30 hrs, and will be repeated every half an hour thereafter. The bidding mechanism for the real-time market shall be double-side closed bid auction for each time block of the delivery period. The Nodal Agency shall indicate to the Power Exchange(s) the available margin on each of the transmission corridors before the gate closure, i.e. before the window for trade closes for specified duration. The power exchanges shall clear the real-time market from 23.00hrs till 23.15hrs based on the available transmission corridor and the buy and sell bids for the real time market (RTM) for the specified duration. Then the cleared bids shall be submitted by the Power Exchanges to the Nodal Agency for scheduling. The Nodal agency in accordance with the detailed procedure shall announce the final schedule by 23.45 hrs of (T-1) and communicate to the RLDCs to prepare the schedule for dispatch.

Illustration:

The complete timelines for scheduling of the real-time collective transaction is shown in the table below:

RTM Auction Start Time	RTM Auction End Time	RTM Clearing Interval and publication in the website	Communication of Schedule to NLDC/RLDCs/ SLDCs	Final Schedule Preparation	Preparation time for despatch	Delivery Period
Illustration - A						
22:45 Hrs (of the previous day)	23:00 Hrs (of the previous day)	23:00 Hrs – 23:15 Hrs (of the previous day)	23:15 Hrs – 23:30 Hrs (of the previous day)	23:30 Hrs – 23:45 Hrs (of the previous day)	23:45 Hrs – 24:00 Hrs (of the previous day)	00:00:00 - 00:30:00
23:15Hrs (of the previous day)	23:30Hrs (of the previous day)	23:30Hrs - 23:45Hrs (of the previous day)	23:45Hrs – 00:00Hrs (of the previous day)	00:00Hrs – 00:15Hrs	00:15 Hrs – 00:30 Hrs	00:30:00 – 01:00:00
Illustration - B						
07:45Hrs	08:00Hrs	08:00Hrs - 08:15Hrs)	08:15Hrs – 08:30Hrs	08:30Hrs – 08:45Hrs	08:45 Hrs – 09:00 Hrs	09:00:00 – 09:30:00
Illustration - C						
20:45Hrs	21:00Hrs	21:00Hrs – 21:15Hrs	21:15Hrs – 21:30Hrs	21:30Hrs – 21:45Hrs	21:45 Hrs - 22:00 Hrs	22:00:00 – 22:30:00

4. The following proviso shall be added below clause (1) of Regulation 15 of the Principal Regulation:

"Provided also that while curtailing collective transactions, day ahead transactions shall be curtailed first followed by real time transactions."

5. Amendment to Regulation 20 of the Principal Regulations

4.1 Clause (1) of Regulation 20 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(1) All transactions for State utilities and for intra-State entities scheduled by the nodal agency under these regulations, after accounting the changes in the schedules after the execution of the real-time market, shall be accounted for and included in the respective day-ahead net interchange schedules of the concerned regional entity issued by the Regional Load Despatch Centre."

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./383/19]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008 were notified on 7.2.2008 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 10 and the same were amended vide,

a. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 notified on 29.5.2009 in Part III, Section 4, Sr. No.10 of the Gazette of India Extraordinary.

b. Corrigendum notified on 10.6.2009 in Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Ser. No. 10

c. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013, notified on 11.9.2013 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237

d. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Third Amendment) Regulations, 2015, notified on 12.5.2015in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237

e. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fourth Amendment) Regulations, 2016, notified on 22.6.2016 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 279

f. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fifth Amendment) Regulations, 2018, notified on 2.1.2019 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 23

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.12.30 23:41:19 +05'30'